

13.05.17

राज्य द्वारा एडीपीओ।

प्रकरण आरोपी की उपस्थिति हेतु नियत है।

आरोपी शशिकांत को गिरफ्तारी वारंट जारी किए जाने के उपरांत अनिवारित है। प्रकरण के अवलोकन से प्रकट होता है कि आरोपी दिनांक 22.03.17 से अनुपस्थित है और उसके विरुद्ध जारी गिरफ्तारी वारंट उस पर तामील नहीं हो रहे हैं। अतः यह प्रतीत होता है कि आरोपी स्वयं को वारंट निष्पादन से बचने के लिए छिपाये हुए हैं अथवा फरार हो गया है। प्रकरण अंतिम तर्क की स्टेज पर है। अतः अनुपस्थित आरोपी के विरुद्ध धारा 299 द.प्र.स. की कार्यवाही की जाती है। आरोपी को फरार घोषित किया जाता है। आरोपी के विरुद्ध स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी हो।

प्रकरण सुरक्षित रखने की टीप के साथ अभिलेखागार भेजा जाये।

सही / -

(गोपेश गर्ग)

जे.एम.एफ.सी., गोहद

जिला भिण्ड म.प्र.

सामान्य जानकारी हेतु प्रतिलिपि
(शासकीय / विधिक उपयोग हेतु अमान्य)